झारखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम 2005 से संबंधित सूचनाऐंः–

झारखण्ड राज्य महिला आयोग का गठन :–

(1) झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा एक निकाय का गठन किया जायेगा, जो झारखण्ड राज्य महिला आयोग के नाम से जाना जायेगा। आयोग इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं उसमें समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा। इस आयोग के अध्यक्ष एवं गैर–सरकारी सदस्य महिलाएँ होंगी।

(2) (क) अध्यक्ष जो महिलाओं के हित के लिए वचनबद्ध हों, का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(ख) पाँच गैर–सरकारी महिला सदस्य जिन्हें (1) समाज सेवा (2) विधि विधान (3) समाज कल्याण या प्रशसन या स्वास्थ्य या शिक्षा तथा (4) स्वयंसेवी संस्था, ट्रेड यूनियन या ऐसी संस्था या उद्योग की व्यवस्था या प्रबंधन का अनुभव हो। इनमें से एक अनुसूचित जनजाति, एक अनुसूचित जाति एवं एक अल्पसंख्यक वर्ग से हो।

(ग) एक सरकारी सदस्य, कल्याण विभाग के प्रतिनिधि के रुप में होगा।

(घ) एक सरकारी सदस्य, गृह विशेष विभाग के प्रतिनिधि के रुप में होगा।

(च) आयोग की सदस्य सचिव (महिला) जो राज्य सरकार द्वारा नामित की जायेगी, पदेन सदस्य सचिव होगी।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल एवं सेवा शर्त्ते –

(1) अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य तीन वर्षों से अनाधिक कालावधि तक पद्धारण करेगें, जो अधिसूचना में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी।

(2) अध्यक्ष या कोई भी गैर सरकारी सदस्य लिखित रुप में सरकार को संबोधित पत्र अध्यक्ष अथवा सदस्य का पद त्याग कर सकता है, साथ ही निम्नलिखित कारणों के अतिरिक्त यदि राज्य के हित में अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य का पद को अपने पद पर बने रहना लोकहित में न हो, तो उस सरकार द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो,

(ख) नैतिक अधमता में संलग्न होने के अपराध में सिद्ध दोषी अथवा कारावास के लिए कर दिया गया हो;

(ग) विकृत चित्त हो गया हो, अथवा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित कर दिया गया;

(घ) अपना कार्य करने से इंकार करते हो, या करने में अक्षम हो,

(च) बिना अवकाश प्राप्त किये आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे हो;

(3) उप–धारा (2) के अधीन अथवा अन्य रीति से होने पर वह पद मनोनयन द्वारा भरा जायेगा।

5. आयोग के अध्यक्ष एवं गैर–सरकारी सदस्यों को देय सुविधायें :–

अध्यक्ष तथा गैर–सरकारी सदस्यों को देय एवं भत्ते और उनकी सेवा, अन्य बन्धेज तथा वही होंगी जो विहित की जायें।

6. आयोग के पदाधिकारी तथा कर्मचारीगण :–

(1) इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने हेतु आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा पदाधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे। सरकार ये कर्मी प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपलब्ध करायेगी। यदि प्रतिनियुक्ति हेतु कर्मी नहीं मिले तो संविदा के आधार पर अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदस्थापना अवधि तक के लिए कर्मी रखें जायेंगे।

(2) आयोग के कार्यों के प्रयोजनार्थ नियुक्त किये गये पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते उनकी सेवा शर्त्ते और प्रबंधन उसी रीति से होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित होगी।

7. अनुदान की राशि से वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जाना :–

अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों की देय भत्ते इत्यादि के साथ धारा (6) में निर्देशित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के देय वेतन, भत्ते एवं पेंशन को सम्मिलित करते हुए प्रशासनिक व्यय का भुगतान अनुदान से किया जायेगा।

8. आयोग को कार्यवाही एवं रिक्ति इत्यादि के कारण अविधिमान्य न होना :–

आयोग के किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही पर कोई आक्षेप नहीं किया जायेगा तथा आयोग गठन में किसी प्रकार की रिक्ति या त्रुटि विद्यमान रहने मात्र के आधार पर अविधिमान्य नहीं किया जायेगा।

9. आयोग द्वारा गठित समितियाँ :–

(1) आयोग द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार विशेष मामलों के निष्पादन हेतु समितियाँ गठित की जायेगी।

(2) उप–धारा (1) के अंतर्गत गठित समिति के सदस्य के रुप में किसी भी व्यक्ति को समायोजित करने का अधिकार आयोग को होगा, यदि वह व्यक्ति आयोग का सदस्य नहीं है और यदि उसे आयोग योग्य समझता है तो वैसे समायोजित व्यक्ति को समिति की बैठक में उपस्थित रहने तथा भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो जायगा तथा उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(3) वह व्यक्ति, जिसे सहयोजित किया जायेगा, समिति की बैठक में भाग लेने लेन के लिए वह भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो नियमानुकुल विहित होगा।

9. (क) आयोग द्वारा प्रक्रिया का विनियमन :–

(1) आयोग तथा उसके द्वारा गठित समिति की बैठक हेतु तिथि, समय और स्थान का निर्धारण आयोग के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(2) आयोग अपनी तथा सभी समितियों की प्रक्रिया विनियमित करेगी।

(3) आयोग के सभी आदेशों तथा निर्णयों को सदस्य–सचिव अथवा आयोग के अन्य किसी पदाधिकारी द्वारा जिन्हें सदस्य–सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, अधिप्रमाणित किया जायेगा।

अध्याय – 3

10. आयोग का कृत्य–

(1) आयोग निम्नलिखित कृत्यों में से सभी या उनमें से किसी भी कृत्य का संपादन करेगा :–

(क) विद्यमान विधियों के अधीन महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सभी तथ्यों का अन्वेषण और जाँच करना;

(ख) महिलाओं की सुरक्षा के निमित्त किये गये कार्यो पर एक वार्षिक प्रतिवेदन या कोई और दावा उचित समय, जो आयोग उचिजत समझे, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ;

(ग) राज्य में महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार हेतु सुरक्षा के उपायों के व्यवहारिक कार्यान्वयन हेतु प्रतिवेदनों की अनुशंसा करना;

(घ) महिलाओं को प्रभावित करनेवाले विद्यमान विधियों और उसके उपबंधों का समय–समय पीर पुनरावलोकन करना और उसमें संभावित संशोधनों को अनुशंसा करना, जिससे कि विधान में किसी प्रकार की कमी, अपर्याप्तता अथवा त्रुटियों को ठीक करने हेतु सुधारत्मक विधायी अध्युपायों के संबंध में परामर्श दिया सके;

(च) राज्य में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे उत्पीड़न, यातनाओं और अत्याचारों द्वारा महिलाओं से संबंधित विधि और विधिक उपायों के उल्लंघन के सभी मामलों को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना;

(छ) निम्नलिखित उपखंडों से संबंधित विषयांकित शिकायतों की जाँच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना;

(1) महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने या होने की दशा में;

(2) महिलाओं को संरक्षण और समानता तथा उसके विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयोगात्मक कोई अधिनियमत की गई विधियों का क्रियान्वयन न किये जाने की दशा में ;

(3) महिलाओं को कठिनाइयों को दूर करने तथा कल्याण और राहत उपलबध कराने के उद्देश्य वाले नीतिगत निर्णयों, मार्गदर्शनों या अनुदेशों का पालन न किये जाने और सक्षम प्राधिकारियों के साथ ऐसे विषयों पर विवाद उत्पन्न होने के मुद्दो की दशा में;

(ज) भेदभाव से उत्पन्न होने वाली विनिर्दिष्ट समस्याओं या उससे उत्पन्न स्थितियों के बारे में विशेष अध्ययन या अन्वेषण कर उनके काम को पहचान कर उसे दूर करने के उपायों के युद्धस्तर नीति की अनुशंसा करना;

(झ) उत्थान हेतु शैक्षणिक शोध का उत्तदायित्व लेना जिससे उसके उपाय सुझाये जा सके फलस्वरुप सभी क्षेत्रों मं महिलाओं का सभ्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके जिससे उनके उत्थान जैसी बातें उनके घरों तक पहुँचे तथा इससे संबंधित, मौलिक सेवाओं अपर्याप्त समर्थक सेवाओं तथा भेषजापण व्यवसायिक स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने ओर उनकी उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु आसन्न उत्तरदायी बातों की पहचान करना;

(ञ) महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजनाबद्ध प्रक्रिया में भाग लेना और उससे संबंधित परामर्श देना;

(ट) राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ठ) कारागार, प्रतिप्रेषण गृहों, महिलाओं की संस्था, या अन्य अभिरक्षा का स्थान, जहाँ महिलाएँ कैदी के रुप में या अन्यथा रुप में रखी जाती हों का निरीक्षण करना या करवाना और यदि आवश्यक समझा जाये तो सुधारात्मक कार्रवाई हेतु इस कार्य से संबंधित प्राधिकारियों के साथ सहयोग करना;

(ड) महिलाओं के बड़े निकाय का प्रभावित करनेवाले अंतर्ग्रस्त मुद्दों के विवादों का निपटाव करना;

(ढ) महिलाओं से संबंधित किसी विषय वस्तु जो विशेष रुप से उन विभिन्न कठिनाईयों के बारे में, जिनके अधीन महिलाएँ पीड़ित होती है, सरकार को सामयिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ण) इसके अतिरिक्त कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार द्वारा उन्हें समय–समय पर सौंपा जा सके।

(2) राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्देशित सभी प्रतिवेदनों को राज्य की अनुशंसाओं पर की गई अथवा की जानेवाली प्रस्तावित कार्रवाई या अस्वीकृति, यदि कोई हो, अथवा अनुशंसाओं में से भी किसी की अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करते हुए ज्ञापन के साथ, विधान–मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा।

(3) आयोग को उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (छ) के उपखंड (1) में निर्देशित किसी विषय के बारे में अन्वेषण चल रहा हो, विशेष रुप से निम्नलिखित विषयों के संबंध में, किसी वाद को विचरण करनेवाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होगीः–

(क) भारत के किसी भी भाग में रहनेवाले किसी भी दोषी व्यक्ति को सम्मन करने, उपस्थित होने हेतु बाध्य करने ओर शपथ पत्र पर उसका परीक्षण करने;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और उपस्थापन को अध्यपेक्षा करने;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने;

(घ) किसी न्यायालय या अधिकारियों से किसी लोक–अभिलेख या प्रति की अध्यपेक्षा करने;

(च) साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन बहाल करना;

(छ) कोई अन्य विषय जो समय–समय पर विहित किये जाये।

झारखण्ड राज्य महिला आयोग कार्यालय हेतु स्वीकृत/कर्णांकित पदबल एवं इसके विरुद्ध कार्यरत बल की संवर्गवार संख्या :–

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत/कर्णांकित पदबल	स्वीकृत पदबल के विरुद्ध काय्रत बल की संवर्गवा संख्या
1.	अध्यक्ष	01 (एक)	1
2.	सदस्य	05 (पांच)	5
3.	संयुक्त सचिव	01 (एक)	0
4.	सदस्य सचिव (महिला) उप सचिव स्तर का	01 (एक)	0
5.	अवर सचिव	01 (एक)	1
6.	प्रशाखा पदाधिकारी	01 (एक)	0
7.	आप्त सचिव	01 (एक)	1 (संविदा)
8.	सहायक	06 (छह)	1 (संविदा)
9.	नीजी सहायक	2 (दो)	0
10.	लेखापाल	01 (एक)	0
11.	आशुलिपिक	01 (एक)	0
12.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा आधारित पद)	01 (एक)	01 (संविदा)
	आदेशपाल	03 (तीन)	2 (संविदा)

अध्यक्षों की कालावधि

कालावधि	अध्यक्षों के नाम
दिनांक 18.09.2006 – दिनांक 17.09.2009	श्रीमती लक्ष्मी सिंह
दिनांक 07.09.2010 – दिनांक 06.09.2013	डॉ0 हेमलता एस0 मोहन
दिनांक 11.11.2013 – दिनांक 10.11.2016	डॉ0 महुआ मांजी
दिनांक 07.06.2017 – अबतक	श्रीमती कल्याणी शरण

सदस्यों की कालावधि

कालावधि	सदस्यों के नाम
दिनांक 18.09.2006 – दिनांक 17.09.2009	श्रीमती मीरा जयसवाल श्रीमती लुईस मरांडी
दिनांक 07.09.2010 – दिनांक 06.09.2013	श्रीमती वासवी किडो श्रीमती अनुराधा चौधरी
दिनांक 11.11.2013 – दिनांक 10.11.2016 दिनांक 09.05.2016 – दिनांक 06.06.2017 दिनांक 09.05.2016 – अबतक	सुश्री किरण देवी शबनम परवीन श्रीमती कल्याणी शरण श्रीमती रेणु देवी श्रीमती देवकी रानी

झारखण्ड राज्य महिला आयोग के गठन के बाद दिनांक 18.09.2006 से दिनांक 29.11.2018 तक आयोग में प्राप्त आवेदन पत्रों, वादों की कुल संख्या, निष्पादित वादों की कुल संख्या एवं विचाराधीन वादों की कुल संख्याँ से संबंधित विवरणी :–

कालावधि	पंजीकृत वादों की संख्या	कुल निष्पादित वादों की संख्या	विचाराधीन मामलों की संख्या
18.09.2006– 17.09.2009 **(श्रीमती लक्ष्मी सिंह, अध्यक्ष अवधि का)**	कुल 1134	श्रीमती लक्ष्मी सिंह(अध्यक्ष) –373 श्रीमती लुईस मरांडी – 65 श्रीमति मीरा जायसवाल–112	
		कुल 550	
07.09.2010–06.09.2013 **(डॉ0 हेमलता एस0 मोहन, अध्यक्ष अवधि का)**	कुल 2070	डॉ0 हेमलता एस मोहन(अध्यक्ष)– 834 श्रीमती अनुराधा चौधरी–189 श्रीमती वासवी किड़ो– 360	
		कुल 1383	
11.11.2013–10.11.2016 **(डॉ0 महुआ मांजी, अध्यक्ष अवधि का)**	कुल 4680	डा0 महुआ माजी(अध्यक्ष) एवं आयोग के पूर्ण पीठ के द्वारा – 3587	
07.06.2017–29.11.2018 **(कल्याणी शरण, अध्यक्ष अवधि का)**	कुल 2480	**1391**	दिनांक 29.11.18 को विचाराधीन मामलों की संख्या– 3350

झारखण्ड राज्य महिला आयोग में जिलावार प्राप्त एवं निष्पादित

शिकायतवाद की विस्तृत विवरणी (दिनांक 07.05.2017 से 29.11.2018 तक)

	जिला	कुल वाद	निष्पादित वाद
कल्याणी शरण, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग झारखण्ड	रांची	667	114
	जमशेदपुर	216	56
	रामगढ़	82	28
	धनबाद	148	62
	अन्य जिला	215	244
	पी0एम0ओ0	42	39
	जांच प्रतिवेदन	129	129
	स्वतः संज्ञान	337	49
	कुल	1836	721
श्रीमती रेणू देवी, सदस्य, राज्य महिला आयोग झारखण्ड	पलामू	95	55
	गढ़वा	66	32
	चतरा	45	14
	चाईबासा	25	20
	अन्य जिला		2
	कुल	231	123
श्रीमती देवकी रानी, सदस्य, राज्य महिला आयोग झारखण्ड	खूँटी	23	20
	सिमडेगा	15	10
	गुमला	45	46
	साहेबगंज	72	22
	कुल	155	98
	बोकारो	122	128

श्रीमती पूनम प्रकाश, सदस्य, राज्य महिला आयोग झारखण्ड	हजारीबाग	150	84
	कोडरमा	44	29
	लातेहार	48	31
	अन्य जिला		3
	कुल	364	275
श्रीमती शर्मिला सोरेन, सदस्य, राज्य महिला आयोग झारखण्ड	गोड्डा	45	15
	पाकुड़	49	18
	देवघर	55	34
	जामताड़ा	22	17
	कुल	171	84
श्रीमती आरती राणा, सदस्य, राज्य महिला आयोग झारखण्ड	लोहरदगा	25	10
	गिरिडीह	127	31
	दुमका	55	34
	सरायकेला–खरसावां	43	14
	अन्य		1
	कुल	250	90

वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में झारखण्ड राज्य महिला आयोग को राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि की विवरणी

वित्तीय वर्ष	प्राप्त अनुदान		कुल (रु0 में)	व्यय		कुल व्यय (रु0 में)	शेष राशि (As on 31.01.2019)	
	वेतन मद (रु0 में)	गैर–वेतन मद (रु0 में)		वेतन मद (रु0 में)	गैर–वेतन मद (रु0 में)		वेतन मद (रु0 में)	गैर–वेतन मद (रु0 में)
2016–17	85,99,000/–	85,01,000/–	1,71,00,000/–	85,96,988/–	85,00,983/–	1,70,97,971/–	2,012/–	17/–
2017–18	1,24,21,000/–	55,79,000/–	1,80,00,000/–	72,32,573/–	20,25,669/–	92,58,242/–	51,88,427/–	35,53,331/–
2018–19	अप्राप्त	अप्राप्त						